राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 968/2000

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3376/1988

मीथ्या पुत्र स्वर्गीय सुखपाल, निवासी ग्राम बिदईपुर, तहसील गंगापुर सिटी, जिला:सवाई माधोपुर।

1/1. चिरंजी लाल पुत्र स्वर्गीय मीथ्या, निवासी ग्राम बिदाईपुर, तहसील गंगापुर सिटी, जिला:सवाई माधोपुर।

1/2. बद्री लाल पुत्र स्वर्गीय मीथ्या, निवासी ग्राम बिदाईपुर, तहसील गंगापुर सिटी, जिला:सवाई माधोपुर।

1/2/1. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय बद्री लाल, उम्र 55 वर्ष।

1/2/2. कैलाश चंद पुत्र स्वर्गीय बद्री लाल, उम्र 52 वर्ष।

1/2/3. रूप सिंह पुत्र स्वर्गीय बद्री लाल, उम्र 40 वर्ष।

1/2/4. विजय सिंह पुत्र स्वर्गीय बद्री लाल, उम्र 35 वर्ष।

1/2/5. चेतराम पुत्र स्वर्गीय बद्री लाल, उम्र 30 वर्ष।

1/2/6. जगनी पत्नी स्वर्गीय बद्री लाल, उम्र 70 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम बिदईपुर, तहसील गंगापुर सिटी, जिला:सवाई माधोपुर।

1/2/7. कमली पुत्री स्वर्गीय बद्री लाल पत्नी संतराम, उम्र 46 वर्ष, ग्राम डोब, तहसील गंगापुर सिटी, जिला:सवाई माधोपुर।

1/2/8. विमला पुत्री स्वर्गीय बद्री लाल पत्नी आशाराम, उम्र 43 वर्ष, ग्राम फूलवाड़ा, तहसील बामनवास, जिला:सवाई माधोपुर।

1/3. प्रथ्वीराज पुत्र स्वर्गीय मीथ्या, ग्राम बिदाईपुर, तहसील गंगापुर सिटी, जिला:सवाई माधोपुर।

1/3/1. बदली देवी पत्नी स्वर्गीय प्रथ्वीराज, उम्र 65 वर्ष।

1/3/2. सियाराम पुत्र स्वर्गीय प्रथ्वीराज, उम्र 48 वर्ष।

1/3/3. श्याम लाल पुत्र स्वर्गीय प्रथ्वीराज, उम्र 45 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम बिदईपुर, तहसील गंगापुर सिटी, जिला:सवाई माधोपुर

1/3/4. एंटी पुत्री स्वर्गीय प्रथ्वीराज पत्नी पूरन, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम अरनिया, तहसील गनापुर सिटी, जिला:सवाई माधोपुर।

1/3/5. गोपाली पुत्री स्वर्गीय प्रथ्वीराज पत्नी रामोतार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम बजारी, तहसील बामनवास, जिला:सवाई माधोपुर।

1/3/6. लाली देवी पुत्री स्वर्गीय प्रथ्वीराज पत्नी रामकेश, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पीलोदा, तहसील गंगापुरसिटी, जिला:सवाई माधोपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार को सचिव राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. अपर कलक्टर, सवाई माधोपुर।
4. एस.डी.ओ., गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।

----प्रत्यर्थी

के साथ संबद्ध में

खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 997/2006

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3376/1988

1. राजस्थान सरकार।
2. अपर कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी।

----अपीलार्थीगण/प्रत्यर्थी

बनाम

1. चिरंजी लाल पुत्र स्वर्गीय श्री मीथ्या, निवासी ग्राम खिदरपुरा, तहसील गंगापुर सिटी, जिला:सवाई माधोपुर।

2. बद्री लाल (मृत्यु के बाद से) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से:-

2/1. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय बद्री मीना।

2/2. कैलाश चंद पुत्र स्वर्गीय बद्री मीना।

2/3. रूप सिंह पुत्र स्वर्गीय बद्री मीना।

2/4. विजय सिंह पुत्र स्वर्गीय बद्री मीना।

2/5. चेतराम पुत्र स्वर्गीय बद्री मीना।

2/6. जगनी पत्नी स्वर्गीय बद्री मीना।

सभी निवासी खिदरपुर, तहसील वाजीपुर, जिला:सवाई माधोपुर

2/7. कमली पुत्री स्वर्गीय बद्री मीना पत्नी संतराम, ग्राम डोव, तहसील वाजीपुर, जिला:सवाई माधोपुर।

2/8. विमला पुत्री स्वर्गीय बद्री मीना पत्नी आशाराम, ग्राम फुलवाड, तहसील वाजीपुर, जिला:सवाई माधोपुर।

3. प्रथ्वीराज (मृतक के बाद से) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से:-

3/1. सियाराम पुत्र स्वर्गीय प्रथ्वीराज मीना।

3/2. श्याम लाल पुत्र स्वर्गीय प्रथ्वीराज मीना।

सभी निवासी ग्राम खिरदपुर, तहसील वजीरपुर, जिला:सवाई माधोपुर

3/3. एंटी पुत्री स्वर्गीय प्रथ्वीराज मीना पत्नी पूरन, निवासी ग्राम अरनियां, तहसील गानापुर, जिला:सवाई माधोपुर।

3/4. मिथलेशी पुत्री स्वर्गीय पृथ्वीराज मीना, पत्नी रामोतार, निवासी विंजारी, तहसील वामनावास, जिला:सवाई माधोपुर।

3/5. सीमा पुत्री स्वर्गीय पृथ्वीराज मीना, पत्नी रामकेश निवासी पीलोदा, तहसील वजीपुर, जिला:सवाई माधोपुर।

3/6.बड़ली पुत्र स्वर्गीय पृथ्वीराज मीना, निवासी खिदरपुर, तहसील वजीरपुर, जिला:सवाई माधोपुर।

4. कंचनबाई (मृतक), कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से:-

4/1. घनश्याम पुत्र स्वर्गीय कंचनबाई, निवासी ल्हावद, तहसील नादोती, जिला:करोली।

4/2. लज्जाराम पुत्र स्वर्गीय कंचनबाई, निवासी ल्हावद, तहसील नादोती,

जिला:करोली।

4/3. बनीराम पुत्र स्वर्गीय कंचनबाई, निवासी ल्हावद, तहसील नादोती, जिला:करोली।

4/4. भगवानसहाय पुत्र स्वर्गीय कंचनबाई, निवासी लावड़, तहसील नादोती, जिला:करोली।

4/5. इंद्रा पुत्री स्वर्गीय कंचनबाई, निवासी राधेकी, तहसील वामनवास, जिला:सवाई माधोपुर।

4/6. विजय पुत्री स्वर्गीय कंचनबाई निवासी गुलावपुरा, तहसील सपोटरा, जिला:करोली।

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से :	श्री अनिल मेहता, एएजी श्री यशोधर पांडे, सुश्री अर्चना एवं श्री प्रवालमिश्रा द्वारा प्रदत्त सहायता
प्रत्यर्थी(गण) की ओर से:	श्रीसंजय जोशी

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>23/08/2023</u>

ये दोनों अपीलें विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 02.06.2000 के आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत, रिट याचिकाकर्ता-मीथ्या द्वारा दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 30 मानक एकड़ की अतिरिक्त भूमि सीमा के भीतर पाई जाती है, जिसे जहाँ तक धारकों द्वारा कृषि भूमि को धारण किया जा सकता है।

मामलों के रिकॉर्ड और हमारे समक्ष लागू आदेशों के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों से पता चला तथ्य यह है कि खातेदार/रिट-याचिकाकर्ता-मीथ्या के

खिलाफ लागू सीलिंग कानूनों के तहत सीलिंग कार्यवाही शुरू की गई थीजो राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, '1955 का अधिनियम') की योजना के तहत राजस्थान राज्य में लागू है।कार्यवाही पूरी करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 17.11.1971 द्वारा कार्यवाही समाप्त कर दी। हालाँकि, बाद में, राज्य सरकार संतुष्ट थी कि पहले पारित आदेश उस कानून का उल्लंघन था जो उस समय लागू था जब आदेश पारित किया गया था और इसलिए, 01.05.1981 को, राज्य ने राजस्व प्राधिकरण को इसे फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया जिसके कारण 06.11.1981 को अपर कलेक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा इस मामले पर पुनः सुनवाई की गई और आदेश पारित किया गया। इस आदेश के द्वारा, अपर कलेक्टर ने माना कि धारक-मीथ्या के नाम पर दर्ज 92.87 मानक एकड़ भूमि में से 62.87 मानक एकड़ को अतिरिक्त घोषित किया गया है और निहित करने का आदेश पारित किया गया है। इस आदेश को धारक द्वारा राजस्व बोर्ड के समक्ष चुनौती दी गई, हालांकि असफल रही। राजस्व मंडल ने आदेश दिनांक 18.01.1985 के तहत अपील खारिज कर दी। इसके चलते इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। उक्त रिट याचिका को विद्वान एकलपीठ द्वारा आंशिक रूप से उस आदेश द्वारा अनुमति दे दी गई जो इस अपील में आक्षेपित है।

राज्य और रिट याचिकाकर्ता दोनों ने अपील दायर की हैं। अपील में रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि विद्वान एकलपीठ और सभी राजस्व अधिकारियों ने कार्यवाही की संधार्यता, कार्यवाही पर पुनः सुनवाई करने पर विशेष आपत्ति का निर्णय नहीं किया। उनका कहना था कि अतिरिक्त कृषि जोत घोषित करने की कार्यवाही पहले निरस्त कानूनों के तहत शुरू की गई थी, जिन्हें अंततः 17.11.1971 को हटा दिया गया था। राजस्थान कृषि जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, '1973 का अधिनियम') के अधिनियमन के बाद, हालांकि धारा 15 ने फिर से सुनवाई की अनुमति दी, फिर से सुनवाई की शक्ति तीन वर्ष तक सीमित थी और उसके बाद 1978 में एक संशोधन द्वारा, इसे सात वर्ष कर दिया। राज्य सरकार ने 01.08.1985 को मामले को सात वर्ष की अवधि से परे फिर से सुनवाई का निर्देश दिया, जिसके भीतर पिछली कार्यवाही पर पुनः सुनवाई की जा सकती थी। कार्यवाही के सभी चरणों में विशेष रूप से उठाए जाने के बावजूद इस पहलू की जांच नहीं की गई।

दूसरी ओर, श्री अनिल मेहता, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री यशोधर पांडे की

सहायता से, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकार क्षेत्र का मुद्दा विशेष रूप से रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश यह नहीं दर्शाता है कि अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे को प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया था, इसलिए, इस स्तर पर, अपील में, इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अगली दलील यह है कि विद्वान एकलपीठ ने इस बात की सराहना नहीं की कि अपर कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही में धारक द्वारा शुरू में की गई आपत्तियां बेटों के परिवार के आश्रित सदस्य होने के संबंध में नहीं थीं, बल्कि पूरा मामला विभाजन की दलील पर बनाया गया था। अपर कलेक्टर के साथ-साथ राजस्व बोर्ड और विद्वान एकलपीठ ने भी माना है कि भूमि का धारक विभाजन का मामला स्थापित करने में विफल रहा है। इसलिए, नई याचिका जो पहली बार रिट कोर्ट के समक्ष ली गई थी, खारिज होने योग्य थी।

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिट याचिका के रिकॉर्ड सहित मामले के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया है।

हमने पाया कि रिट याचिकाकर्ता/कृषि भूमि धारक को नोटिस जारी होने के बाद, उसने 12.06.1981 को अपर कलेक्टर के समक्ष एक विशिष्ट आपत्ति दायर की थी। वह आपत्ति (रिट याचिका का अनुलग्नक-6) स्पष्ट रूप से नीचे दी गई है:

> 9- यह कि सिलिंग एक्ट के अनुसार सिलिंग प्रकरण तीन वर्ष के अन्दर ही पुनः ओपिन किया जा सकता है] यह प्रकरण एस.डी.ओ. गंगापुर से दिनांक 17-11-1971 को फैसल किया था। इसके तीन वर्ष के अन्दर यानि 17-11-1974 तक ही री-ओपिन किया जा सकता है, इसके बाद की अवधि में नहीं इस कारण से भी उक्त प्रकरण पुनः ओपिन न किया जावे। दफा 4 न्यू सिलिंग एक्ट रेटविथ सैक्सन 15 यह म्याद 3 वर्ष है।''

जाहिर तौर पर, नए सीलिंग अधिनियम, 1973 की धारा 4 के साथ पठित धारा 15 में निहित प्रावधान के विशिष्ट संदर्भ में, पुनः सुनवाई पर एक विशेष आपत्ति ली गई थी, जिसमें कहा गया था कि पुनः सुनवाई की सीमा तीन वर्ष है।

हालाँकि, अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में उक्त आपत्ति पर विचार नहीं किया

गया जो कि आदेश दिनांक 12.06.1981 से स्पष्ट है। इसके बाद याचिकाकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने राजस्व बोर्ड के समक्ष अपील दायर की। राजस्व बोर्ड ने भी 1973 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनः सुनवाई की कार्यवाही की संधार्यता के संबंध में इस विशिष्ट आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया।

जब रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की, तो रिट याचिका में नीचे दिए गए एक विशिष्ट आधार को उठाया गया था:

> "6. यह कि राज्य सरकार का आदेश वर्ष 1981 में याचिकाकर्ता के सीलिंग मामले पर पुनः सुनवाई करना पूरी तरह से अवैध और क्षेत्राधिकार के बिना है। याचिकाकर्ता के सीलिंग मामले का निर्णय वर्ष 1971 में एस.डी.ओ. द्वारा किया गया था। और एस.डी.ओ. द्वारा पारित अंतिम आदेश के केवल 3 वर्षों के भीतर मामले पर पुनः सुनवाई करने की शक्ति थी। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेश के पालन में अपर कलेक्टर द्वारा अपनाई गई सभी कार्यवाही अवैध, अधिकार क्षेत्र के बिना और शून्य हैं।"

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि शुरुआत से ही, रिट याचिकाकर्ता इस आधार पर पुनः सुनवाई करने की कार्यवाही की संधार्यता के संबंध में विशिष्ट आपत्ति उठा रहा था कि यह समय बाधित था। हम पाते हैं कि विद्वान एकलपीठ ने इस पहलू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। इस बात की जांच किए बिना कि क्या धारा 15(2) के तहत बनाई गई विशिष्ट रोक के मद्देनजर कानून के तहत पुनः सुनवाई करने की अनुमति थी, जो कि 1973 का सीलिंग अधिनियम के लागू होने से पहले निरस्त कानून के तहत तैयार और समाप्त किए गए सीलिंग मामलों को पुनः सुनवाई करने से संबंधित है, मामले को अपनी गुण-दोष के आधार पर बदल दिया गया है।

1973 के अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले, कृषि भूमि की होल्डिंग की सीमा के संबंध में सीलिंग कानून 1955 के अधिनियम की धारा 5 के खंड 6 क और अध्याय III खमें प्रदान किए गए थे। माना जाता है कि, पहले सीलिंग की कार्यवाही धारक/रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई थी। पुराने अधिनियम के तहत. यह भी विवाद में नहीं है कि उन कार्यवाहियों को दिनांक 17.11.1971 के आदेश के माध्यम से निष्कर्ष

निकाला।

राजस्थान राज्य में 1978 के अधिनियम के लागू होने के बाद, 1955 के अधिनियम में निहित पहले के प्रावधानों और सीलिंग कानूनों की योजना को निरस्त कर दिया गया था, जो नीचे दिए गए निरसन खंड से स्पष्ट है:

> "**40. निरसन और व्यावृत्ति**- (1) इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक और धारा 15 की उपधारा (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, खंड (6क) के प्रावधान राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) की धारा 5 के खंड 6 (क) के प्रावधानऔर अध्याय III-बी को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र को छोड़कर निरस्त किया जाता है, जिसमें ऐसे प्रावधान उस तारीख से निरस्त हो जाएंगे जिस दिन यह अधिनियम उस क्षेत्र में लागू होता है।
>
> (2) राजस्थान कृषि जोत सीमा अधिरोपण अध्यादेश, 1973 (1973 का राजस्थान अध्यादेश 1) को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।
>
> (3) उपधारा (2) के तहत उक्त अध्यादेश के निरसन के बावजूद, उक्त अध्यादेश के तहत की गई कोई भी कार्रवाई या कोई भी नियम इस अधिनियम के तहत किया गया, लिया गया या बनाया गया माना जाएगा, और राजस्थान सामान्य खंड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) की धारा 27 ऐसे निरसन और पुनः अधिनियमन पर लागू होगी।

हालाँकि, विधायिका ने अपने विवेक से नए अधिनियम के तहत मामलों पर पुनः सुनवाई करने का प्रावधान किया। इस प्रयोजन के लिए, 1973 के नये अधिनियम के तहत धारा 15 के तहत एक विशिष्ट प्रावधान किया गया था, जो प्रासंगिक होने के कारण नीचे अपेक्षित है:

> "15. **मामलों पर पुनः सुनवाई करने की शक्ति-** (1) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि राज्य सरकार धारा 13 के तहत अंतिम विवरण के प्रकाशन के तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय संतुष्ट है कि, संबंध में अधिकतम सीमा यदि किसी

व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में दोषी ठहराया गया है, तो यह अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को निर्णय किए गए मामले को पुनः सुनवाई करने और इसकी जांच करने और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमा क्षेत्र और अधिशेष क्षेत्र को नए सिरे से निर्धारित करने का निर्देश दे सकता है।

(2) धारा 40 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, संतुष्ट है कि उक्त धारा द्वारा निरस्त कानून के तहत तय किए गए किसी व्यक्ति के संबंध में अधिकतम सीमा क्षेत्र समाप्त हो गया है ऐसे निरस्त किए गए कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्धारित किया गया है, यह अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को किसी निर्णय किए गए मामले को पुनः सुनवाई करने और इसकी जांच करने और निरस्त कानून के ऐसे प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमा क्षेत्र और अधिशेष को नए सिरे से निर्धारित करने का निर्देश दे सकता है।

जबकि उप-धारा (1) और धारा 15 में सीलिंग मामलों को पुनः सुनवाई करने का प्रावधान है जहां 1973 के नए अधिनियम के तहत कार्यवाही करके आदेश पारित किए गए थे, उप-धारा (2) विशेष रूप से अधिकारियों को उन सीलिंग मामलों को पुनः सुनवाई करने का अधिकार देती है जो पुराने अधिनियम अर्थात किरायेदारी अधिनियम, 1955 की उप-धारा (2), तहत खींचे और बंद किए गए थे। हालांकि, 1973 के नए अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की सीमा प्रदान करती है।

धारा 15 को, बाद में, राजस्थान राजपत्र अतिरिक्त भाग 4 (केए) दिनांक 08.04.1978 में प्रकाशित 1978 के अधिनियम संख्या 6 की धारा 2 के माध्यम से एक नए प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नया प्रावधान इस प्रकार है:

"15. **मामलों पर पुनः सुनवाई करने की शक्ति-** (1) इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि राज्य सरकार, रिकॉर्ड मांगने के बाद या अन्यथा संतुष्ट है कि इस अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में पारित कोई भी अंतिम आदेश प्रावधान का उल्लंघन

है इस अधिनियम और इस तरह के आदेश राज्य सरकार के लिए प्रतिकूल हैं या साक्ष्य के नए और महत्वपूर्ण मामले की खोज के कारण जो उसके संज्ञान में आए हैं, ऐसे आदेश पर पुनः सुनवाई करने की आवश्यकता है, यह किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दे सकता है उसे ऐसे निर्णयित मामले पर पुनः सुनवाई करने और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने का अधिकार है।

बशर्ते कि ऐसा कोई निर्देश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का नोटिस नहीं दिया गया हो:

[परंतु आगे यह भी कहा गया है कि पूर्वगामी प्रावधान में निर्दिष्ट कोई भी नोटिस अंतिम आदेश की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद या जून 1979 के 30वें दिन की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, जारी नहीं किया जाएगा।]

(2) राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि राज्य सरकार, रिकॉर्ड मांगने के बाद या अन्यथा संतुष्ट है कि किसी भी मामले में अंतिम आदेश पारित किए गए हैं, धारा 40 द्वारा निरस्त प्रावधानों के तहत, ऐसे निरस्त प्रावधानों का उल्लंघन है और ऐसा आदेश राज्य सरकार के लिए प्रतिकूल है या साक्ष्य के नए और महत्वपूर्ण मामले की खोज के कारण जो उसके ध्यान में आया है, जैसे आदेश को पुनः सुनवाई करने की आवश्यकता है, तो यह अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को ऐसे तय किए गए मामले को पुनः सुनवाई करने और ऐसे निरस्त प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है:

बशर्ते कि ऐसा कोई निर्देश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का नोटिस नहीं दिया गया हो:

[परंतु यह भी कहा गया है कि पूर्वगामी प्रावधान में निर्दिष्ट कोई भी नोटिस अंतिम आदेश को पुन: सुनवाई करने की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति के बाद या 30 जून, 1979 की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, जारी नहीं किया जाएगा।]

बशर्ते कि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामले में बोर्ड द्वारा पारित किसी भी अंतिम आदेश को साक्ष्य के नए और महत्वपूर्ण मामले की खोज के कारण पुन: सुनवाई करने के लिए निर्देशित नहीं किया जाएगा। तब से या किसी गलती के कारण या रिकार्ड में स्पष्ट होने के कारण यह संज्ञान में आया है।]

[(3) जहां कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत या उप-धारा (2) के तहत किसी तय मामले पर पुन: सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश को किसी भी न्यायालय में चुनौती देता है और ऐसे निर्देश को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है। किसी भी प्रक्रियात्मक दोष के कारण या तकनीकी आधार पर या इस आधार पर कि निर्देश जारी करने वाले प्राधिकारी के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, जिस अवधि के दौरान कार्यवाही न्यायालय में लंबित रही, धारा (1) या उप-धारा (2) उक्त उप-धाराओं के तहत तय किए गए मामलों पर पुन: सुनवाई करने के लिए नए निर्देश देने के उद्देश्य से।]"उसे दूसरे प्रावधान द्वारा प्रदान की गई सीमा की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

संशोधन के माध्यम से प्रतिस्थापित प्रावधान के तहत प्रावधान जोड़े गए। दूसरे परंतुक में महत्वपूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है कि पुन: सुनवाई करने के लिए मांगे गए अंतिम आदेश की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति के बाद या 30 जून, 1979 की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, कोई नोटिस या पुन: सुनवाई जारी नहीं की जाएगी। प्रावधान में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि हालांकि सीलिंग मामलों को पुन: सुनवाई करने की शक्ति जो पहले पुराने कानूनों के तहत बंद कर दी गई थी, नए अधिनियम के तहत आरक्षित थी, इसे असंशोधित और साथ ही संशोधित प्रावधानों के तहत समय सीमा द्वारा सीमित किया गया था। पहले प्रदान की गई सीमा नए अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष थी, बाद में, इसे फिर से खोले जाने वाले अंतिम

आदेश की तारीख से या 1979 के जून के 30वें दिन की समाप्ति के बाद बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया गया। जो भी बाद में है। वर्तमान मामले में 17.11.1971 को पुराने अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया था। यहां तक कि, अगर दोबारा खोलने का आदेश पारित करने की तारीख से सात वर्ष की गिनती की जाए, तो यह 17.11.1978 आएगा। हालाँकि, प्रावधान के तहत इस तरह की दोबारा शुरुआत 30 जून, 1979 तक की जा सकती थी। इसलिए, किसी भी स्थिति में, प्राधिकरण 30 जून, 1979 तक मामले को फिर से खोल सकता था। किसी भी स्थिति में, 30 जून, 1979 के बाद कोई भी दोबारा खोलने की अनुमति नहीं थी।

वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने 01.05.1981 को देर रात एक आदेश पारित कर सीलिंग के मामले को फिर से खोल दिया, जिसकी परिणति 12.06.1981 को अतिरिक्त भूमि घोषित करने के लिए अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने के रूप में हुई।

उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलना, 1973 के अधिनियम की धारा 15(2) के असंशोधित और संशोधित प्रावधान के तहत प्रदान की गई सीमा की अवधि से परे था।

उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, हम मानते हैं कि कार्यवाही को फिर से खोलना अधिकार क्षेत्र के बिना था और इसलिए, इसके बाद की सभी कार्यवाही, अतिरिक्त भूमि की घोषणा करना शुरू से ही अवैध है।

अपर कलेक्टर, राजस्व मंडल एवं विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं।

रिट याचिका स्वीकार की जाती है। परिणामतः, भूमि धारक के कानूनी प्रतिनिधियों की अपील (खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 968/2000) की अनुमति दी जाती है और राज्य की अपील (खंडपीठ विशेष अपील रिट संख्या 997/2006) खारिज कर दी जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

(आशुतोष कुमार), न्यायमूर्ति **(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति**

टिप्पणी:इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।